



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55315-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 10077 वर्ष 2026

भागीरथ

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उ0प्र0 राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से अधिवक्ता : अजय सिंह यादव, यतीन्द्र

प्रत्यर्थी(गण) की ओर से अधिवक्ता : अंजलि उपाध्या, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री यतीन्द्र के साथ श्री अजय सिंह यादव, राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री फुजैल अहमद अंसारी और प्रत्यर्थी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनआईडीए) के विद्वान अधिवक्ता श्रीमती अंजलि उपाध्याय को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करते हुए दायर की गई है:

“(i) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी संख्या-4 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.01.2025 (रिट याचिका का परिशिष्ट संख्या-5) पर विचार कर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!



निर्णय लें तथा ग्राम-इटहारा, तहसील-दादरी, जनपद-गौतम बुद्ध नगर से संबंधित खसरा संख्या 424, क्षेत्रफल 0.085 हेक्टेयर, जो खतौनी संख्या 00062 में अभिलिखित है, का पट्टा प्रदान करें।

(ii) परमादेश की प्रकृति में रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसके द्वारा प्रत्यर्थागण को निर्देशित किया जाए कि वे विवादित भूमि पर याचिकाकर्ता के शांतिपूर्ण कब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करें तथा उक्त प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.01.2025 के निर्णय होने से पूर्व, उस पर स्थित याचिकाकर्ता के पक्के मकान को ध्वस्त न करें।

(iii) ऐसा अन्य कोई उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी किया जाए, जिसे यह माननीय न्यायालय वाद की परिस्थितियों में उचित एवं न्यायसंगत समझे।

(iv) रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता को प्रदान की जाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता गांव इटहारा, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर का निवासी है, और उसकी भूमि प्रत्यर्था की लीज बैक नीति के तहत अधिग्रहित की गई थी? जीएनआईडीए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त नीति के तहत आवंटन के लिए 06.09.2012 को जीएनआईडीए द्वारा याचिकाकर्ता के अधिकारों पर विधिवत विचार किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 11 में है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि वर्ष 2012 में आवंटन किए जाने के बावजूद, याचिकाकर्ता के सही दावे का आज तक सम्मान नहीं किया गया है, और न तो कब्जा सौंपा गया है और न ही पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता को इस न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

4. प्रतिवाद में, प्रतिवादी-जीएनआईडीए की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्रीमती अंजलि उपाध्याय ने यह प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता के कुछ अधिकार लीज-बैक नीति के अंतर्गत स्वीकार किए गए थे, तथापि विकसित भूमि की अनुपलब्धता के कारण लीज विलेख निष्पादित नहीं किया जा सका। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्रकरण में विस्तृत निर्देश प्राप्त करने हेतु उन्हें कुछ समय प्रदान किया जाए।

5. प्रकरण के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, और दिनांक 06.09.2012 के आदेश को ध्यान में रखते हुए, जो क्रम संख्या 11 में याचिकाकर्ता के नाम को स्पष्ट रूप से दर्शाता है,



यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटन उक्त तिथि को किया गया था। हालांकि, आज तक, न तो कब्जा दिया गया है और न ही प्रत्यर्थी जीएनआईडीए द्वारा पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है। प्राधिकरण की ओर से इस तरह की निष्क्रियता को अनिश्चित काल तक जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

6. तदनुसार, न्यायहित में यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि प्रत्यर्थी-जीएनआईडीए यह सुनिश्चित करे कि याचिकाकर्ता के पक्ष में कब्जा सुपुर्द किया जाए तथा लीज विलेख का निष्पादन किया जाए, बशर्ते कोई अन्य विधिक बाधा विद्यमान न हो, और यह समस्त कार्यवाही इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर पूर्ण की जाए। यदि आवंटित भूखंड के संबंध में लीज विलेख के निष्पादन में कोई बाधा विद्यमान हो, तो प्रत्यर्थी-जीएनआईडीए याचिकाकर्ता को वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने पर विचार कर सकता है।

(न्यायमूर्तिकुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

18 मार्च, 2026

एनएलवाई